डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

वाद सं. : 20/2019

निर्णय दिनांक 13-08-21

1. मूलचन्द दत्तक पुत्र धन्नाराम जाति मीणा
   निवासी ग्राम सांगवाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. नन्छी देवी पत्नी बाबूलाल जाति बलाई
2. पंकज पुत्र बाबूलाल जाति बलाई
3. भीखाराम पुत्र भवानीराम जाति बलाई
   निवासी सांगवाला तहसील आमेर जिला जयपुर

—प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर जयपुर

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की खातेदारिता की भूमि खसरा नम्बर 223 की हदमात्र तक वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं की खातेदारिता की विशिष्ट भूमि की सीमा के सन्दर्भ में विधिक सीमाज्ञान/सीमांकन के अभाव में वादी की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 223 की सीमा में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा अतिक्रमण ना करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 13.08.2021 को जारी किया गया।

दस्तखत----

ओहदा----

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:28:09 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपये	पैसे		रूपये	
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जीदावा	2 रूपये	
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजहसबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मानामा	2 रूपये		बाबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी :श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

वाद सं. : 20/2019 निर्णय दिनांक 13-08-21

1. मूलचन्द दत्तक पुत्र धन्नाराम जाति मीणा
निवासी ग्राम सांगवाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. नन्छी देवी पत्नी बाबूलाल जाति बलाई
2. पंकज पुत्र बाबूलाल जाति बलाई
3. भीखाराम पुत्र भवानीराम जाति बलाई
निवासी सांगवाला तहसील आमेर जिला जयपुर

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— अधिवक्ता वादी श्री बंशीधर जाट

निर्णय

ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं. 223 रकबा 0.23 है. के सन्दर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर वादी द्वारा अभिकथन किया गया है कि उक्त **वर्णित भूमि/विवादित आराजी** वादी की कब्जेकाश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है। जिस पर वह सह अधिकार काबिज होकर उपयोग—उपभोग करता आ रहा है तथा **अन्य किसी व्यक्ति का इस कृषि भूमि से कोई संबंध व सरोकार नही है। विवादित आराजी के उतर में रास्ता व पश्चिम में आबादी भूमि है।** प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 जो कि वादी की पश्चिमी सीमा में स्थित आबादी भूमि में निवास करते है, वादी को परेशान करने व **वादी की भूमि की पश्चिम सीमा पर जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है** तथा इसी उद्देश्य से वादी को परेशान करते है जबकि **प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 का विवादित आराजी से किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नही है, न ही प्रतिवादीगण की भूमि वादी की भूमि की सींव जोड़ की कृषि भूमि है।** प्रतिवादीगण द्वारा वादी को परेशान करने की नियत से अतिक्रमण करने की चेष्टा की जा रही है तथा वादी की भूमि पर निर्माण करने पर आमादा है। इस प्रकार दिनांक 15.06.19 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसकी भूमि में पुख्ता निर्माण करने की ऐलानिया धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है, जो कि निरंतर बदस्तूर जारी है, जब कि विवादित आराजी वादी की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है, जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:28:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वादी काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। **प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है। इसलिए अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षार्थ वादी द्वारा यह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।** विवादित आराजीयात पर यदि प्रतिवादीगण जबरन अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण कर लेंगे तो बिना वजह वाद बहुलता बढेगी तथा वादी स्वयं की खातेदारी भूमि से महरूम हो जावेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में कदापि सम्भव नही होगी। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावें कि वें ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नं. 223 की पश्चिम सीमा पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य व अतिक्रमण ना करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के सन्दर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है –

1. सत्यप्रतिलिपि : हाल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 223 वादी की एकल खातेदारीता की भूमि है।
2. सत्यप्रतिलिपि : नक्शा ट्रेस

वादपत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में अभिकथन किया गया है कि वादी द्वारा वर्णित भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई काश्त नही की जा रही है अपितु उक्त कृषि भूमि को अवैध रूप से लाभ कमाने उद्देश्य से दीगर लोगों को बेचान कर रहा है, जो कि उक्त कृषि भूमि पर आवासीय मकान बना रहे है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में यह भी वर्णित किया है कि विवादित आराजी के उतर में रास्ता तथा पश्चिम में आबादी भूमि स्थित है उक्त आबादी भूमि मे ही प्रतिवादी सं. 1 व 2 का मकान व खुली भूमि स्थित है। जिस पर वें वर्षों से काबिज है तथा इन्दिरा आवास योजना के तहत प्राप्त सहायता से उक्त मकान निर्माण किया गया है। **विवादित आराजी के पश्चिम की ओर स्थित प्रतिवादी सं. 1 व 2 के कब्जेशुदा व रिहायश के मकान/भूमि में से कुछ भूमि पर अवैध रूप से वादी के द्वारा जे.सी.बी. चलाकर रास्ता बना दिया गया है तथा उक्त अवैध रूप से बनाये गये रास्ते को भी वादी अनुचित रूप से बेचान करना चाहता है।** प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के उक्त मकान/भूमि के उपयोग–उपभोग से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अनुचित रूप से वंचित करना चाहता है। उक्त कुत्सित उद्देश्य से ही वादी के द्वारा उक्त वादपत्र पेश किया है। जिस से प्रस्तुत वादपत्र की आड में वादी प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अनुचित तौर पर पाबन्द करवा सकें, जबकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पास उक्त भूमि/मकान का विक्रय विलेख/पटटा तथा कार्यालय ग्राम पंचायत कांट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:28:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

लिखत मौजूद है। जो कृषि भूमि वादी की मौके पर है उस पर खेती ना होकर आवासीय मकान बने हुये है। इसलिए वादी के द्वारा उक्त वादपत्र पेश करने की कोई आवश्यकता नही थी। उक्त वादपत्र वादी द्वारा प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से तथा **पश्चिम में प्रतिवादी सं. 1 व 2 की स्थित आबादी भूमि पर अवैध रूप से बनाये गये रास्ते की भूमि अवैध रूप से कब्जा कर उसे दीगर व्यक्ति को बेचने के कुत्सित उद्देश्य** से व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वादपत्र की आड में अनुचित रूप से पाबन्द करवाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। वादी को किसी भी प्रकार का कोई वादकारण प्रतिवादी सं. 1 व 2 के प्रति उत्पन्न नही हुआ है तथा वादी के द्वारा मिथ्या व मनगढंत कथनों पर आधारित प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा अपने कुत्सित उद्देश्य की पूर्ति के लिये तथा अपने अवैध कृत्य को प्रोटेक्ट करने के लिये पेश किया गया है। इस प्रकार से वादी का किसी भी प्रकार से कोई प्रकरण प्रतिवादीगण के विरूद्ध नही बनता है। अतः जबाब वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई –

1. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वें ग्राम सांगावाला तहसील आमेर स्थित वादीगण की खातेदारी की भूमि/वादअधीन भूमि आ.ख.नं. 223 रकबा 0.23 है. कि पश्चिमी सीमा पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य व अतिक्रमण ना करें तथा मौके की स्थिति बनाये रखें ?

–वादी

2. आया विवादित आराजियात के पश्चिम की ओर स्थित प्रतिवादीगण के कब्जेशुदा व रिहायशी भूमि मे से कुछ भूमि पर वादी के द्वारा अवैध रूप से रास्ता बना दिया है तथा उक्त अवैध रास्ते को भी बेचान कर मिन प्रतिवादीगण को उपयोग उपभोग से वंचित करना चाहता है ?

–प्रतिवादीगण

3. अनुतोष ?

कायम तनकीयात के क्रम में वादी द्वारा साक्ष्य सपथ पत्र वादी मूलचन्द पुत्र धन्नाराम का तथा गवाह के रूप में साक्ष्य सपथ पत्र मंगली देवी पत्नी मूलचन्द जाति मीणा का पेश किया गया।

अग्रिम कार्यवाही के नियत रहते प्रतिवादीगण के निरन्तर नियत तारीख पेशीयों पर मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:28:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी, तथ्यों का मनन किया व पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय/निस्तारण निम्न प्रकार है –

तनकी सं. 1 – इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जिसके कम में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिस भूमि आराजी खसरा नम्बर 223 की सीमा में किसी प्रकार के निर्माण कार्य व अतिकमण बाबत वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है वह भूमि (विवादित भूमि) वादी की एकल खातेदारिता की भूमि है जो कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से बखूबी साबित है। इस प्रकार वादी द्वारा मात्र स्वयं की खातेदारिता की भूमि के सन्दर्भ में अनुतोष चाहा है न कि प्रतिवादीगण की खातेदारिता की भूमि के सन्दर्भ में चाहा गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के इस कथन को भी किसी भी रूप में नही नकारा गया है कि प्रतिवादीगण की भूमि वादी की भूमि के सींव लगवा भूमि भी नही है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर मु. जयपुर

तनकी सं. 2 – इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसके कम में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा जो कथन किये गये है वें विवाद के तथ्यों से परे तथा कयासों मात्र पर आधारित है। एकमात्र कथन जो प्रतिवादीगण द्वारा उनकी भूमि में से वादी द्वारा जे.सी.बी. चलाकर रास्ता बनाने का किया गया है उस सन्दर्भ में भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अथवा कोई मान्य रिपोर्ट यथा सीमाज्ञान रिपोर्ट/तहसीलदार रिपोर्ट/मौका स्थिति रिपोर्ट आदि भी प्रस्तुत नही की गई है। जिससे प्रतिवादीगण का उक्त तथ्य सिद्ध होता हो, ना ही प्रतिवादीगण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब वादी द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि में जबरन उक्त कृत्य (जे.सी.बी. चलाकर रास्ता) किया गया तो प्रतिवादीगण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अ[illegible] नही की गई। ऐसा कोई प्रमाण प्रतिवादी द्वारा [illegible] के सन्दर्भ में नही किया गया है। यदि प्रतिवादीगण की [illegible] ऐसा कोई कृत्य वादी द्वारा कारित किया गया तो उसके वि[illegible] कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस प्रकार उक्त सन्दर्भ में प्रतिवादीगण द्वारा कोई मान्य तर्क/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जबकि हस्तगत ~~[illegible]~~ वाद पत्र वादी द्वारा स्वयं की खातेदारिता भूमि मात्र के सन्दर्भ में प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:28:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

किया गया है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

अनुतोष – चूँकि वादी द्वारा मात्र स्वयं की अभिलिखित खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 223 की सुरक्षा के सन्दर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध भी स्पष्ट नही है, ना ही प्रतिवादीगण द्वारा कथित किया गया है। अतः वादी की खातेदारिता की भूमि खसरा नम्बर 223 की हदमात्र तक वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं की खातेदारिता की विशिष्ट भूमि की सीमा के सन्दर्भ में विधिक सीमाज्ञान/सीमांकन के अभाव में वादी की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 223 की सीमा में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा अतिक्रमण ना करें।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:28:09 IST
Reason: SelfAttested